राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

सं० एफ० ७ (198) परि/रूत्म/एच.क्यू./2003/![

जयपुर, दिनांक :

## अधिसूबना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1938 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 59) की घारा 65 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (द्वितीय प्रारूप संशोधन) नियम, 2011 का प्रारूप उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपन्न में थथा—प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, 7 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उक्त अधिन्यम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपक्षानुसार राजस्थान राजपन्न विशेषांक, माग 3(ख), दिनांक 02.02.11 में प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 02.02.11 को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की घारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित बनाती है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्म.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 4.3 का संशोधन राजस्थान मोटर यान नियम, 1390, के नियम 4.3 के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यदित "रिजस्ट्रीकरण चिन्ह् आवंटित करने की", के परचात् और अभिव्यदित "अनुज्ञा दे राकेंगी" के पूर्व अभिव्यदित "या किसी व्यक्ति को उसके नये यान के लिए उसके पुराने यान को पहले से आवंटित पुराने संख्यांक "रखने की," अन्तः स्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से

(महेन्द्र सीनी) शास्त्र सीनिव (मु. परिवडन विभाग राज. जयपुर

## Government of Rajasthan Transport Department

No. F 7(198)/Pari/Rules/HQ/2003/II

## . NOTIFICATION

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Second Draft Amendment) Rules, 2011, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extraordinary part 3 (kha), dated 02-02-2011 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 7 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 02-02-2011.

And whereas, no objections and suggestions were received on the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called Rajasthan Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of rule 4.3.- In provisor to rule 4.3 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules. 1990, after the existing expression "registration mark in advance" and before the existing expression "in a manner", the expression "or a person on his new vehicle can retain old number already allotted to his previous vehicle," shall be inserted.

By order of the Governor

Jaipur, Dated: 11.02.2011

(Mahendra Soni) পাট্যপ্তি Secretary to the Government Rajasthan